कार्यालय उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र।

पत्रांकःरिनु0/डी0डी0/फा0स0/मेरठ–16(1)/ 453 दिनांकः जून-13, 2016,

सेवा मे,

प्रबन्धक,
मैसर्स सनवर्ल्ड डवलपर्स प्रा0 लि0,
प्लाट न0–जी0एच0–01 बी, सेक्टर–107 नौएडा
गौतमबुद्धनगर।

विषयः **मैसर्स सनवर्ल्ड डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा प्लाट न0–जी0एच0–01 बी, सेक्टर–107 नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे निर्मित ग्रुप हाऊसिंग भवन (टावर–1,2,3,4,5,6,7,8 व 9 तथा काम0 कम्यू0) भवन की अनापत्ति प्रमाण पत्र का वर्ष 2016–2017 हेतु वार्षिक नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः यूआईडीः2014/6515/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/1042/जे0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर वार्षिक नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु अनुरोध इस कार्यालय से किया गया है।

उक्त प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज–प्रथम से कराया गया तो उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या दिनांकितः 08–06–2016 का मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर संस्तुति आख्या दिनांकः 09–06–2016 अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका विवरण निम्नवत हैः–

प्रश्नगत भवन को पूर्व मे निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरणः– भ–210/डी0डी0/फा0स0/मेरठ–14(1)/97 दिनांकः 17–01–2015।

भवन की संरचनाः कुल प्लाट एरिया–30,000.00 वर्ग मीटर है। जिसमे निर्मित कुल 07 टावरों का एरिया विवरण निम्नवत हैः–

क0स0	नाम टावर	तलो का विवरण	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	ऊचॉई मी0।
1	टावर–01	02बेस, भूतल एवं 18 तल	419.254	394.319	59.35
2	टावर–02	02बेस, भूतल एवं 18 तल	419.254	394.319	59.35
3	टावर–03	02बेस, भूतल एवं 18 तल	419.254	394.319	59.35
4	टावर–04	02बेस, भूतल एवं 18 तल	441.053	414.391	59.35
5	टावर–05	02बेस, भूतल एवं 18 तल	477.798	448.219	59.35
6	टावर–06	02बेस, भूतल एवं 18 तल	441.053	414.391	59.35
7	टावर–07	02बेस, भूतल एवं 16 तल	412.365	380.082	56.10
8	टावर–08	02बेस, भूतल एवं 16 तल	412.365	380.082	56.10
9	टावर–09	02बेस, भूतल एवं 16 तल	412.365	380.082	56.10
10	कामर्शियल	02बेस, भूतल एवं 16 तल	370.272	377.426	08.00
11	कम्यूनिटी	02बेस, भूतल एवं 16 तल	423.202	379.653	08.00
12	अपर/लोवर बेसमेन्ट	24027.492 प्रत्येक			

भवन का अधिभोग एवं हजार्डस श्रेणीः– प्रश्नगत भवन का अधिभोग नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया 2005 पार्ट–4 के अनुसार ग्रुप ए–4 आवासीय भवन श्रेणी के अन्तर्गत वगीकृत किया गया है ।

ढॉचागत व्यवस्थाः–1–पहुँच मार्गः– भूखण्ड के सामने मानचित्रों में 45.00 मीटर चौडा रोड मानको के अनुसार उपलब्ध है।

2–प्रवेश द्वारः– निर्मित भवन में प्रवेश/निकास द्वार की चौड़ाई–06.00 मीटर मानको के अनुसार उपलब्ध है।

3–सैटबेकः– प्रश्नगत भवन के सैटबेक स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप अग्रभाग 12 मी, ओर 09–09 मीटर भवन निर्माण विकास उपविधि के मानको के अनुसार एवं अग्निशमन विभाग द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार उपलब्ध है। सैटबेक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निमार्ण कार्य मान्य नही होगा तथा सैटबेक को सदैव अवरोध रहित रखा जाना अनिवार्य होगा।

3– **निकास मार्गः–** निर्मित भवन के प्रत्येक टावर में 02 स्टेयरकेस जिनकी चौडाई 1.25 मीटर है एवं ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

4– **रिफ्यूज एरियाः–** प्रश्नगत निर्मित भवन के समस्त टावरों के प्रत्येक फलैट मे बालकानी निर्मित है।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाः– नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया 2005 पार्ट–4 एवं बी0आई0एस0 के अनुसार निम्नांकित अग्नि शमन व्यवस्थाऐं स्थापित है।

(एच0 एस0 मलिक)
उपनिदेशक फायर सर्विस
मेरठ परिक्षेत्र

1– **होजरील/डाउनकमरः**– प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर के प्रत्येक तल पर होजरील, लैण्डिंग वाल्व एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार स्थापित है।

2– **टेरेस टैंक** :–प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर की प्रत्येक टेरिस पर टेरिस टैंक 10000 लीटर पानी की क्षमता का स्थापित एवं कार्यशील दशा में उपलब्ध है।

3– **भूमिगत टैंकः**– प्रश्नगत निर्मित भवन में 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक स्थापित एवं कार्यशील दशा में स्थापित है।

4– **फायर पम्पः**– प्रश्नगत निर्मित भवन मे भूमिगत टैंक के पास 2280 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद विद्युत चालित फायर पम्प समान क्षमता का एक अदद डीजल चालित फायर पम्प तथा 280 एल0पी0एम0 क्षमता के दो अदद जौकी पम्प स्थापित एवं कार्यशील दशा में उपलब्ध है।

5–**वेटराईजर**– प्रश्नगत भवन मे वेटराईजर सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार स्थापित है।

6– **प्राथमिक अग्नि शमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर्स)** प्रश्गत भवन के समस्त टावरो में फायर एक्सटिंग्यूशर्स मानक के अनुसार स्थापित पाये गये।

7– **आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टमः**–प्रश्नगत भवन के समस्त टावरो के सम्पूर्ण बेसमतेन्ट एवं समस्त तलो पर आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 के अनुरूप स्थापित है।

8– **मैनुवली आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः** प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर में प्रत्येक तलों पर मैनुवली आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम मानक के अनुसार स्थापित है।

9– **यार्ड हाइड्रेन्टसः** प्रश्नगत भवन रिंग लाइन तथा उस पर यार्ड हाईड्रेन्टस स्थापित एवं कार्यशील दशा मे उपलब्ध है।

10–**स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टमः** प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम उपलब्ध है।

11–**एग्जिट साईनेजः**– प्रशनगत भवन के सभी टावरों के सभी तलों पर एग्जिट साईनेज स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है।

12–**पी0ए0 सिस्टमः**–भवन के समस्त टावरों के समस्त तलों पर पी0ए0 सिस्टम स्थापित व कार्यशील दशा मे है।

अतः उपरोक्तानुसार मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज–प्रथम की संस्तुति आख्या के आधार पर प्रश्नगत भवन मैसर्स सनवर्ल्ड डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा प्लाट न0–जी0एच0–01 बी, सेक्टर–105 नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे निर्मित ग्रुप हाऊसिंग भवन (टावर–1,2,3,4,5,6,7, 8 एवं 9 तथा काम0 कम्यू0) भवन की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का वर्ष 2016–2017 हेतु वार्षिक नवीनीकरण प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता हैः–

1–भवन प्रबन्धक भवन मे अधिष्ठापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा मे बनाऐं रखने हेतु मैन्टीनेन्स सैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा मे रखा जायें।

2–भवन मे स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त रखा जाये।

3–भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्राुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाए।

4–भवन मे किसी प्रकार का निर्माण कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

5–प्रत्येक छः माह मे एक बार भवन मे कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल /फायर ड्रिल कराई जायें तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।

6–भवन मे विद्युत सुरक्षा के सम्बन्ध मे विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7–वर्ष मे एक बार अग्निशमन विभाग से सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

8–एग्जिट साईनेज की स्थापना आगामी 03 माह मे करायी जानी अनिवार्य होगी।

9–भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ के अनुरक्षण के अभाव मे अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा मे पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा।

10–उक्त शर्तो का उल्लघंन पाये जाने की दशा मे निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(एच0एस0 मलिक)
उपनिदेशक, फायर सर्विस,
मेरठ परिक्षेत्र।

(एच0 एस0 मलिक)
उपनिदेशक फायर सर्विस
मेरठ परिक्षेत्र

प्रतिलिपिः 1–संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को सादर सूचनार्थ।

2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित की एग्जिट साईनेज स्थापित कराये जाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

3–अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज–प्रथम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।